उगमकंवर ..... बनाम गोरूदेवी .....

किस्म मुकदमा स्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 37/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
21.1.2020	पत्रावली पेश हुई। वादीअधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण करीब 2 वर्षों से लम्बित चल रहा है। साथ ही वादी अधिवक्ता द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 24.12.19 को सम्मन तामिल पेश करने हेतु हिदायत दी जाने के बावजूद वादीअधिवक्ता तामिल पेश करने में असमर्थ रहे। अतः वादी अधिवक्ता के उक्त वाद O/S O9R5 CPC खारिज योग्य पाया गया, जिससे उक्त वाद कायम स्थाई निषेधाज्ञा O/S O9R5 CPC खारिज किया जाता है। फिलहाल बोर्ड ऑफ ऑर्डर से दायित्व मुक्त हो।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Kanwar Sisodiya
Date: 2020.02.13 18:09:18 IST
Reason: SelfAttested